राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 7(47)/परि/नियम/मु./1987/पार्ट। /19540   जयपुर, दिनांकः 4/10/18

कार्यालय आदेश 28 /2018

विभागीय कार्यालय आदेश 07/2018 दिनांक 19.02.2018 द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/ जिला परिवहन अधिकारी को टोल नाको से गुजरने वाले ओवरलोड भार वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करने बाबत् निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 31.07.2018 तक टोल नाको से गुजरने वाले ओवरलोड भार वाहनों के लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 04.10.2018 को अधिसूचना जारी की गयी है।

अतः कार्यालय आदेश संख्या 07/2018 दिनांक 19.02.2018 की निरन्तरता में समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारीयों को निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधिकार में स्थित सभी टोल नाकों से दिनांक 31.07.2018 तक गुजरने वाले समस्त ओवरलोड वाहनों के लंबित प्रकरणों से संबंधित वाहन स्वामी को सूचित करते हुये एवं योजना का पूर्ण प्रचार प्रसार करते हुये, समस्त प्रकरणों का निस्तारण दिनांक 31.10.2018 तक आवश्यक रूप से करे।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः एफ 7(47)/परि/नियम/मु./1987/पार्ट। /19541-46   जयपुर, दिनांकः 04/10/18

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव परिवहन आयुक्त एवं अति. मुख्य सचिव महोदय।
2. समस्त प्रादेशिक/ अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी--------------।
3. समस्त जिला परिवहन अधिकारी-----------।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण-----------।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

Scanned by CamScanner